Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में उप निवेशन विभाग का वरिष्ठ सहायक 18 लाख 25 हजार रुपये की अवैध (संदिग्ध) राशि सहित गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *14 अप्रेल गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये कैलाश चन्द्र हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपायुक्त उप निवेशन विभाग नाचना जैसलमेर को **18 लाख 25 हजार रुपये** की अवैध (संदिग्ध) राशि सहित गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर ग्रामीण इकाई को जरिये सुत्र सूचना मिली कि श्री कैलाश चन्द्र हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपायुक्त उप निवेशन विभाग नाचना जैसलमेर अपने साथ भारी मात्रा में अवैध राशि लेकर नाचना जिला जैसलमेर से अपने निजी वाहन से जयपुर जा रहा है।

जिस पर एसीबी **जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाशचन्द्र बिश्नोई के सुपरविजन में** अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरोही **श्री ओमप्रकाश चौधरी** चार्ज जोधपुर ग्रामीण के नेतृत्व में जोधपुर ग्रामीण इकाई के **पुलिस निरीक्षक श्री अमराराम खोखर** मय टीम द्वारा आज रामपुरा मथानिया टोल नाका जोधपुर पर नाकाबंदी कर सुत्र सूचना मुताबिक संदिग्ध प्राईवेट वाहन को रूकवाकर वाहन (कार) में ड्राईवर के पास वाली सीट पर सवार व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम कैलाश चन्द्र पुत्र श्री छगनलाल जाट निवासी जालिया द्वितिय विजय नगर जिला अजमेर, हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपायुक्त उप निवेशन विभाग नाचना जैसलमेर होना बताया तथा उक्त कार को स्वयं की होना बताया। जिस पर वाहन में पीछे की सीट पर रखे कपडे के दो बैग की रूबरू गवाहान तलाशी ली गई तो दोनों बैग में कुल **18 लाख 25 हजार रुपये** की अवैध (संदिग्ध) राशि मिली। उक्त राशि के संबंध में कैलाश चन्द्र से पूछताछ करने पर कोई संतोषप्रद जवाब नही देने पर उक्त राशि को संदिग्ध मानते हुए कब्जा एसीबी लिया जाकर श्री कैलाश चन्द्र वरिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।